राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

प.सं.15(1)गृह–9/2026 **जयपुर, दिनांकः–** मथा ई-हस्ताक्षर

–::आज्ञा::–

विषयः– मूल निवास (Bonafide) प्रमाण पत्र।

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.11.1968, 11.01.1974, 20.05.1978, 07.09.1978, 10.04.1990, 01.07.2006 एवं 28.08.2012 को अतिक्रमित करते हुये मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया जाता हैः–

1. जिला कलक्टर
2. उप खण्ड अधिकारी
3. सहायक जिलाधीश
4. तहसीलदार

यह भी निर्देशित किया जाता है कि मूल निवासी वह होगा जिसके माता–पिता राजस्थान के मूल निवासी हों या स्वयं या उसके माता–पिता राजस्थान में 10 वर्षों से अधिक समय से रह रहा/रहे हों। उनके मूल निवासी होने का साक्ष्य निम्न प्रकार होगा जिनमें से किसी भी एक साक्ष्य की पूर्ति हेतु उससे संबंधित दस्तावेज ही संलग्न करने होगे :–

क्र. सं.	**साक्ष्य**	**साक्ष्य हेतु संलग्न दस्तावेज**
1.	आवेदक के माता–पिता राजस्थान के मूल निवासी हों।	1. आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र। 2. माता–पिता का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र।
2.	आवेदक का या उसके माता–पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या अधिक अवधि में मकान हो।	1. आवेदक और उसके माता–पिता का चुनाव पहचान–पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कॉर्ड/अन्य फोटो पहचान पत्र। 2. लगातार 10 वर्षों के बिजली/पानी/टेलीफोन बिल (प्रत्येक वर्ष का एक)

Signature valid
Digitally signed by G[illegible]nd Prasad
Designation: Dep[illegible] Secretary
Date: 2026.0[illegible]8 [illegible]:05:28 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref No.: 22105203

3.	आवेदक या उसके माता–पिता 10 वर्षों या अधिक अवधि से राजस्थान में किराये के मकान में रह रहा हो/रहे हों।	1. कम से कम 10 वर्ष या अधिक समय का निरन्तर किरायानामा 2. आवेदक और उसके माता–पिता का चुनाव पहचान–पत्र / पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/ आधार कॉर्ड/अन्य फोटो पहचान पत्र।
4.	उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं जो राजस्थान का मूल निवासी है और जो अपने पति के साथ राजस्थान में रहती हो। सामान्यतः राजस्थान की मूल निवासी मान ली जाऐगी।	1. पति का मूल निवास प्रमाण–पत्र व चुनाव पहचान–पत्र / पासपोर्ट/ ड्राईविंग लाईसेंस /आधार कॉर्ड / अन्य फोटो पहचान पत्र। 2. विवाह प्रमाण–पत्र 3. शादी के पूर्व के मूल निवास प्रमाण पत्र के अभित्यजन करने का प्रमाण या प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र।
5.	राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वयं या उसका पति/पत्नी या उसके माता/पिता कार्यरत हों।	1. माता/पिता/पति/पत्नी के राज्य सरकार या राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से पदस्थापित रहने का प्रमाण पत्र। 2. आवेदक और उसके माता–पिता का चुनाव पहचान–पत्र / पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/ आधार कॉर्ड/अन्य फोटो पहचान पत्र।

इन सभी कारकों पर सम्मिलित रूप से विचार करके यह निश्चित किया जाना है कि प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये या नहीं। प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को इस बात से पूर्ण आश्वस्त होना चाहिये कि आवेदक वस्तुतः

RajKaj Ref No.:
22105203

Signature valid
Digitally signed by G[illegible]nd Prasad
Designation: Dep[illegible] Secretary
Date: 2026.0[illegible]:05:28 IST
Reason: Appro[illegible]

राजस्थान का निवासी है या नहीं, इसके लिये आवेदक से शपथपत्र प्राप्त करना होगा और इस हेतु दो उत्तरदायी व्यक्तियों जैसे संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, समस्त अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी (पुलिस) आदि के प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने होंगे।

अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (TSP) के लिए जारी किये जाने वाले मूल निवास–प्रमाण पत्रों पर 'अनुसूचित क्षेत्र' अंकित किया जायेगा। (विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.01.2008)

राज्य सरकार की तरफ चलाये जाने वाले सभी अभियानों जैसे प्रशासन शहरों के संग या प्रशासन गांवों के संग में बनाये जाने वाले सभी मूल निवास प्रमाण पत्र पूर्णतया मान्य होंगे।

कोई भी अभ्यर्थी एक बार ही मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकेगा। लेकिन निम्न परिस्थितियों में पुनः उसी स्थान से मूल निवास प्रमाण पत्र की दोहरी प्रति (Duplicate Copy) संशोधित प्रमाण–पत्र एवं नवीनीकृत प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता है :–

1. प्रमाण पत्र गुम हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति।
2. प्रमाण पत्र में नाम या पता बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र।
3. आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए नवीन फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (उक्त नवीनीकृत प्रमाण पत्र दस वर्ष के उपरान्त ही जारी किया जा सकेगा)

अतः तद्नुसार मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र व जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, सहायक जिलाधीश व तहसीलदार को उनके कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों को मूल निवास का प्रमाणपत्र उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखकर जारी करें। प्रमाण पत्र पर किसी अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

Signature valid
Digitally signed by Govind Prasad
Designation: Deputy Secretary
Date: 2026.0[illegible] [illegible]:05:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22105203

संलग्न :–

1. मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
2. जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गोविन्द प्रसाद)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल कार्यालय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आज्ञा की प्रति समस्त सहायक जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदारों को प्रेषित करावें।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रेषित कर लेख है कि सभी समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करावें।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (समन्वय) विभाग को गृह विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.:
22105203

Signature valid
Digitally signed by Govind Prasad
Designation: Deputy Secretary
Date: 2026.0[illegible] [illegible]:05:28 IST
Reason: Approved

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

प्रार्थी का फोटो (पासपोर्ट साइज)

आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या	

I	1	प्रार्थी का नाम	....	
	2	पिता/माता/पति /संरक्षक का नाम	....	
	3	लिंग(मेल/फीमेल/ट्रांसजेण्डर)		
	4	वर्तमान स्थायी पता	....	
	5	पिता/माता/पति /संरक्षक का मूल स्थान	....	
	6	पिता/माता/पति /संरक्षक का व्यवसाय	....	
	7	जन्म स्थान	....	
	8	जन्म दिनांक	....	
	9	प्रार्थी ने किस कक्षा तक और कहां शिक्षा प्राप्त की:–		
			शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान
		कक्षा 1 से 8	....	....
		10 वीं	....	....
		12 वीं		
		स्नातक	....	....
		स्नातकोत्तर	....	....
		अन्य	....	....

10	स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान	
11	क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है ?	हां/नही
12	प्रार्थी का परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है ?	....
13	मोबाईल नंबर (स्वंय का या अन्य का जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबन्धित सूचना चाहता है)	....
II	महिला आवेदक के लिए :–	

1.	क्या आप विवाहित/तलाकशुदा/विधवा हैं ?	....
2.	आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?	....
3.	क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?	
4.	आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?	....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ–पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बी.एन.एस.) की धारा 229 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

दिनांक : ....

स्थानः ....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

कार्यालय...............................

फोटो

जिला...............................

मूल निवास प्रमाण

क्रमांक: ....

दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री...............................लिंग–.................निवास–.. ....राजस्थान का मूल निवासी है।

आज दिनांक...............................को मूल निवास प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अधिकारी के हस्ताक्षर,
नाम, पदनाम व मोहर

नोटः–

1.राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग की आज्ञा प.सं. 15 (1) गृह–9/2026 के द्वारा मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की है। उक्त परिपत्र के तहत जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, सहायक जिलाधीश व तहसीलदार मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है।

2.उक्त मूल निवास प्रमाण पत्र शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा सस्थाओं में प्रवेश, योग्यता छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने, केन्द्र/राज्य सेवाओं में नियोजन प्रयोजनों एवं भूमि आदि के आवंटन इत्यादि के प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

3.प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज जिले के संबंधित अधिकारी, जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा, के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगे।

4.मूल निवास एक बार ही बनाया जावेगा। लेकिन प्रमाण पत्र गुम हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर दोहरी प्रति प्रमाण पत्र में नाम या पता बदलने पर संशोधित प्रति तथा आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए नए फोटो के साथ नवीनीकृत प्रति (उक्त नवीनीकृत प्रमाण पत्र दस वर्ष के उपरान्त ही किया जा सकेगा) बनवायी जा सकती है।

5. सभी प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां काम में ली जा सकती है।